स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) उ0प्र0
की 18वीं बैठक दिनांक 03.03.2016 (गुरूवार) का
कार्यवृत्त

बैठक स्थान– मुख्य सचिव, सभागार एनेक्सी भवन, उ0प्र0 शासन लखनऊ

उपस्थिति– संलग्न है।

अध्यक्ष एसएलएनए/मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्मानित सदस्य गण एवं विभागीय अधिकारी गण की उपस्थिति में एसएलएनए की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएलएनए/विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए एजेण्डावार विवरण प्रस्तुत किया गया। विचार–विमर्श पश्चात् बैठक में निम्नप्रकार निर्णय लिये गये।

1. एसएलएनए की दिनांक 30.07.2015 में आयोजित 17वीं बैठक के कार्यवृत्त पर सर्वम्मति से पुष्टि की गयी।

2. एसएलएनए की 17वीं बैठक दिनांक 30.07.2015 में लिये गये निर्णयों के उपरान्त निर्गत कार्यवृत में उल्लिखित बिन्दुआ कें अनुपालन की स्थिति से एसएलएनए के सदस्यों को अवगत कराया गयाः–

(i) स्टेट लेवल नोडल एजेनी (एस.एल.एन.ए.) से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त एस.एल.डी.सी. के पत्र सं0 759/एस.एल.डी.सी./1(समादेश)/08टीसी दिनांक 20 अक्टूबर 2015 द्वारा भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से जनपद ललितपुर की वित्तीय वर्ष 2010–11 में स्वीकृत आई0डब्लू0एम0पी0–X परियोजना के क्षेत्र में हुये परिवर्तन के दृष्टिगत संशोधित क्षेत्र का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(ii) स्टेट लेवल नोडल एजेनी (एस.एल.एन.ए.) से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त एस.एल.एन.ए. के पत्र सं0 760/एस.एल.डी.सी./1(समादेश)/08टीसी दिनांक 20 अक्टूबर 2015 द्वारा भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से जनपद बांदा की वित्तीय वर्ष 2010–11 में स्वीकृत आई0डब्लू0एम0पी0–III परियोजना के चयनित माइक्रोवाटरशेड 2C1A6c2e के स्थान पर माइक्रोवाटरशेड 2C1A7k1a एवं 2C1A7k1b के चयन के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 में स्वीकृत 185 परियोजनाओं में से अवशेष 110 परियोजनाओं के डीपीआर क्रमशः 55– 55 स्टेप एचबीटीआई कानपुर तथा एसआईआरडी बक्सी का तालाब लखनऊ को तीन माह में पूर्ण कराने के निर्देश एस0एल0एन0ए0 की बैठक में दिये गये थे। उक्त दोनों संस्थाओं द्वारा अभी तक अन्तिम रूप से डीपीआर तैयार नहीं किये गये हैं। दोनों संस्थाओं को मार्च 2016 तक डीपीआर तैयार करने की समय सीमा निर्धारित की गई है जिस पर कार्य किया जा रहा है।

(iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

(v) कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

(vi) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(vii) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(viii) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(ix) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(x) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(xi) स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त एस0एल0एन0ए0 के पत्र सं0 676/एस0एल0डी0सी0/8(22)2011 दिनांक 18 सितम्बर 2015 द्वारा समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र की स्वीकृत 53 परियोजनाओं हेतु डब्लू0सी0डी0सी0 में प्रारम्भिक चरण की उपलब्ध 6 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष 7 जनपदों में डब्लू0सी0डी0सी0 में अवशेष धनराशि रु0 6.99 करोड़ को वर्तमान में स्वीकृत 37 परियोजनाओं में आवंटन कर दिया गया है।

(xii) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(xiii) स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एस.एल.एन.ए.) से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त एस0एल0एन0ए0 के पत्र सं0 1126/एस0एल0एन0ए0/2015–16 दिनांक 12 फरवरी 2016 द्वारा भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत एस0एल0डी0सी0/ डब्लू0सी0डी0सी0 में तैनात कार्मिकों तथा पी0आई0ए0 स्तर पर कार्यरत डब्लू0डी0टी0 के सदस्य जो कि सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत हैं को सेवा प्रदाता द्वारा मानदेय में से सेवाकर की कटौती की प्रतिपूर्ति हेतु पृथक से संस्थागत मद में धनराशि की व्यवस्था कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

(xiv) एसएलडीसी के कार्यालय पत्र सं0–691/ एसएलडीसी/2015–16 दिनांक 24.09.2015 द्वारा अकुशल श्रमिकों को मनरेगा के समतुल्य देय मजदूरी एवं कार्य मानक के निर्धारण के सम्बन्ध में एसएलएनए द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में आदेश निर्गत किया जा चुका है।

(xv) स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त एस0एल0एन0ए0 के कार्यालय आदेश सं0 675/ एस0एल0एन0ए0/2015–16 दिनांक 18.09.2015 द्वारा शारदा सहासक समादेश एवं रामगंगा समादेश से एस0एल0एन0ए0 में सम्बद्ध शासकीय कार्मिकों को कन्वेन्स भत्ता दिये जाने का आदेश निर्गत किया गया।

(xvi) पर्यावरण निर्माण, जागरूकता सृजन, सघन सूचना, शिक्षा व संचार (आई0ई0सी0) हेतु एनीमेशन/डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गयी है।

- वॉल पेन्टिंग/बैनर, होर्डिंग के माध्यम से प्रचार–प्रसार।
- विभागीय बेवसाइट– अपग्रेड कर ली गयी है।
- विभागीय फेसबुक – तैयार कर लिय गया है।
- आई.डब्ल्यू.एम.पी. जागरूकता सप्ताह के द्वारा परियोजना स्तर पर योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया है।
- सफल प्रयोग एवं सफल कहानियों द्वारा प्रचार–प्रसार का कार्य प्रगति पर है।
- डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म – कार्य प्रगति पर है।

(xvii) स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त एस0एल0डी0सी0 के पत्र सं0 758/एस0एल0डी0सी0/1(समादेश)08 टीसी दिनांक 20 अक्टूबर 2015 द्वारा भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से जनपद बहराइच में वर्ष 2010–11 की स्वीकृत आई0डब्लू0एम0पी0 प्रथम परियोजना के क्षेत्र में हुये परिवर्तन के दृष्टिगत संशोधित क्षेत्र का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

3. आईडब्ल्यूएमपी योजनाओं की वित्तीय वर्ष 2015–16 के मासान्त फरवरी 2016 तक की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएलएनए द्वारा प्रस्तुत किया गया।

सदन को अवगत कराया गया कि वर्ष 2009–10 से 2014–15 तक स्वीकृत 596 परियोजनाओं में कुल रु0 759.15 करोड़ उपलब्ध कराया गया, जिसके विरुद्ध माह फरवरी, 2016 तक रु0 598.57 करोड़ व्यय किया गया है। माह फरवरी 2016 के अन्त में रु 160.58 करोड़ अवशेष था। विभिन्न घटको में अवशेष धनाराशि का सद्पयोग 15 मार्च 2016 तक सुनिश्चित करने की कार्य योजना तैयार कर ली गयी है तथा चरणवद्ध ढंग से कार्य पूर्ण करने के निर्देश क्षेत्रिय अधिकारियों को दिये गये हैं।

4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बैठक में अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा 2009–10 से वर्ष 2014–15 तक 596 परियोजनाए स्वीकृत की गयी हैं। पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 02 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 01 वाटरशेड डेवलपमेंट टीम, जिसमें 04 सदस्य होते हैं, रखे जाने की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान समय में वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 की कुल स्वीकृत 249 परियोजनाओं में कार्य किया जा रहा है। प्रोजेक्ट फण्ड में समय से पर्याप्त धनराशि प्राप्त नहीं होने के कारण परियोजनाओं की कार्य अवधि में निरन्तर वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मद में प्राप्त होने वाली धनराशि से पूर्व निर्धारित व्यवस्था के

अनुसार डब्ल्यूडीटी कार्मिकों के मानदेय भुगतान में कठिनाई आ रही है। प्रत्येक परियोजना हेतु 01 डब्ल्यूडीटी सदस्य की तैनाती करने हेतु सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा गया।

सम्यक विचारोपरान्त एस0एल0एन0ए द्वारा प्रत्येक परियोजना हेतु 01डब्ल्यूडीटी सदस्य की तैनाती का अनुमोदन प्रदान किया गया।

5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा एसएलएनए की बैठक में यह अवगत कराया कि भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 (यथा संशोधित 2011) की निर्धारित व्यवस्थानुसार प्रत्येक घटक में मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक आईडब्ल्यूएमपी की स्वीकृत प्रत्येक परियोजना में एक आदर्श ग्राम विकसित करने के उद्देश्य से एसएलडीसी के कार्यालय पत्र सं0–742/ एस.एल.डी.सी./2015–16 दिनांक 10.10.2015 द्वारा समस्त सम्बन्धित भूमि संरक्षण अधिकारी एवं उप निदेशकों को निर्देश दिये गये, जिसके मुख्य उददेश्य निम्नवत् निर्धारित किये गये हैं:–

1. चयनित ग्रामों में उपलब्ध संसाधनों से भागीदारीपूर्ण सर्वांगींण विकास करना।
2. आदर्श ग्रामों को विकसित करके आस–पास के ग्रामों के लिये अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना।
3. विभिन्न विभागों यथा–ग्राम्य विकास, पशुपालन, उद्यान एवं कृषि विभाग आदि के साथ कन्वर्जेंस करके मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करना।
4. सृजित परिसम्पत्तियों एवं रोजगारपरक गतिविधियों के माध्यम से स्थायी आजीविका का विकास करना।

उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में स्वीकृत कुल 249 परियोजनाओं में आदर्श ग्राम का चयन किया जा चुका है।

सम्यक विचारोपरान्त एसएलएनए द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं लाभग्राहितयों को संचेतित करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। राज्य स्तरीय जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन मा0 मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव जी की अध्यक्षता में दिनांक 16.12.2015 को उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी के प्रांगण में किया गया। जनपद स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक दिनांक 18.01.2016 से 23.01.2016 के मध्य जागरूकता सप्ताह आयोजित करने हेतु एसएलडीसी के कार्यालय पत्र संख्या–966/एस.एल.डी.सी./2015–16 दिनांक 05.01.2016 द्वारा निर्देश निर्गत किया गया। कार्यक्रम से सम्बन्धित मार्गदर्शिका एवं दिवसवार विवरण भी पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया गया है। निर्देशानुसार प्रदेश के सभी सम्बन्धित जनपदों में जागरूकता सप्ताह का आयोजन कराया जा चुका है।

सम्यक विचारोपरान्त एसएलएनए द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एसएलएनए को अवगत कराया कि समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित जनपद अम्बेडकरनगर, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, बस्ती, सन्तकबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, मीरजापुर, भदोही (संतरविदासनगर), सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर तथा चन्दौली के एक–एक आदर्श ग्राम कुल 20 आदर्श ग्रामों में कृषि उपकरण बैंक की स्थापना हेतु उपकरण उपलब्ध कराने के लिये एसएलडीसी के कार्यालय पत्र सं0–897/एसएलडीसी/उपकरण बैंक स्था0/2015–16 दिनांक 11.12.2015 द्वारा मण्डलीय अभियंता, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ से अनुरोध किया गया था। समस्त सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में कृषि उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है तथा इसके संचालन, रख–रखाव, मरम्मत एवं पारस्परिक अनुबन्ध निष्पादित किये जाने आदि के सम्बन्ध में समुचित निर्देश दिये जा चुके हैं।

एसएलएनए द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

8. मुख्य कार्यकारी ने अवगत कराया कि परियोजनाओं के संचालन मे गति लाने के उददेश्य से परियोजना क्षेत्र में कार्यरत विभागीय एवं सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों को तकनीकी रूप से समृद्ध करने के उद्देश्य से टैबलेट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में प्रत्येक जनपद में एक टैबलेट क्रय करने की अनुमति कार्यालय पत्र सं0–892/एस.एल.डी.सी./2015–16 दिनांक 11.12.2015 द्वारा दी गयी है।

इसका भरपूर उपयोग योजनाओं की मानिटरिंग में करने के निर्देश के साथ एसएलएनए द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा एसएलएनए को बैठक में अवगत कराया कि ग्राम पंचायत/वाटरशेड कमेटी स्तर तक आईडब्ल्यूएमपी योजना से सम्बन्धित जानकारियों को प्रचारित–प्रसारित करने के उद्देश्य से मोबाइल वैन संचालन का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्य हेतु चयनित संस्था साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, इण्टरपनियोर्स पार्क (स्टेप एचबीटीआई), कानपुर के पत्र दिनांक 14.12.2015 द्वारा मोबाइल वैन के माध्यम से जनपद वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की सहमत प्रदान की गयी। इस प्रशिक्षण में अधिकतम 75 प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन के आधार पर रू0 317 प्रति प्रशिक्षणार्थी का दर अंकित किया गया था, जिसमें अल्पाहार, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साहित्य आदि व्यय सम्मिलित हैं।

स्टेप एचबीटीआई, कानपुर की दर स्वीकृत करते हुये 5 मोबाइल वैन समस्त सुविधाओं से युक्त, जिसमें प्रशिक्षण सम्बन्धी उपकरण, पाठ्य सामग्री, डाक्यूमेंट्री, सार्ट स्टोरीज एवं बेस्ट प्रैक्टिसेज आदि प्रस्तुत करने की

सुविधा हो तथा आईडब्ल्यूएमपी कार्यक्रम से सम्बन्धित स्लोगन, चित्र आदि से सजा हुआ हो, जीपीएस प्रणाली, जेनरेटर सेट, प्रोजेक्टर, साउण्ड सिस्टम, 35–40 फोल्डिंग कुर्सी, फोल्डिंग मेज, प्लास्टिक मैट, कनात, एन्ड्राएड प्रोसेसर युक्त मोबाइल फोन आदि से सुसज्जित हो, को संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। मोबाइल वैन के साथ प्रशिक्षण साहित्य, प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थित पंजिका, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, प्रशिक्षक दल एवं सर्पोटिंग स्टाफ के साथ जनपद वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में तत्काल प्रशिक्षण प्रारम्भ करने का निर्देश दिया गया है, साथ ही यह अपेक्षा की गयी कि सम्बन्धित भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा तैयार किये गये रूट चार्ट के अनुसार मोबाइल वैन का संचालन सुनिश्चित करें तथा मोबाइल वैन के ट्रैकिंग साफ्टवेयर को एसएलएनए में उपलब्ध करायें।

एसएलएनए द्वारा मोबाइल वैन के संचालन की समुचित मानिटंरिग की व्यवस्था करने के साथ कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएलएनए द्वारा सदन को सूचित किया कि निगरानी, मूल्यांकन, ज्ञानार्जन एवं दस्तावेजीकरण (MEL&D) हेतु भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मॉडल टीओआर में निहित प्राविधानों के अनुसार थर्ड पार्टी मूल्यांकन एजेंसी आईआरजीएसएसए का चयन निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। एसएलएनए एवं आईआरजीएसएसए के मध्य दिनांक 27.03.2015 को अनुबन्ध निश्पादित हुआ। माह अगस्त, 2015 तक अनुबन्ध की षर्तों के अनुरूप इस संस्था द्वारा एसएलएनए एवं जनपद स्तर पर संस्थागत व्यवस्थायें स्थापित नहीं की गयीं और न ही निगरानी, मूल्यांकन, ज्ञानार्जन एवं दस्तावेजीकरण (MEL&D) का कार्य प्रारम्भ किया गया। समय से MEL&D का कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण दिनांक 18 एवं 19 अगस्त, 2015 को भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक में निगरानी, मूल्यांकन, ज्ञानार्जन एवं दस्तावेजीकरण (MEL&D) की प्रगति का प्रस्तुतीकरण नहीं किया जा सका, जिस पर भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा असंतोश व्यक्त किया गया तथा 15 दिन के अन्दर टीओआर के अनुरूप अनुबन्धित संस्था की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। अतः एसएलडीसी के कार्यालय पत्र सं0–555/एस.एल.डी.सी./MEL&D/ 2015–16 दिनांक 24.08.2015 द्वारा सम्बन्धित संस्था के प्रबन्ध निदेशक, श्री अमित जैन, आईआरजीएसएसए, हौज खास, नई दिल्ली से अपेक्षा की गयी कि दिनांक 31.08.2015 तक एसएलएनए एवं जनपद स्तर पर संस्थागत व्यवस्थायें स्थापित करते हुये माह अगस्त की प्रगति 05.09.2015 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा स्थिति में अनुबन्ध की शर्त संख्या–5 (3) के अनुसार कार्यवाही करते हुये अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमानत की धनराशि जब्त करते हुये संस्था को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में IRGSSA संस्था के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 04.09.2015 को भावी रणनीति तय करने हेतु दो बार विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के दौरान समयबद्ध कार्यों के निष्पादन हेतु रणनीति तैयार की गयी, जिसके सम्बन्ध में इस संस्था के पत्र दिनांक 10.09.2015 द्वारा निम्न आश्वासन दिया गया:–

1- IRGSSA will open office and deploy projects assistant at district level in three phases of 15 days each. The district where projects for Concurrent Monitoring are zero or nominal will be clubbed with adjoining district.

2- SLNA will release the payment of inception Report after first Phase of establishing office at District Level.

3- IRGSSA will submit baseline survey report of Bundelkhand by end of September 2015.

संस्था के साथ लगातार संपर्क बनाये रखा गया तथा निर्दिष्ट कार्य समय से पूर्ण करने के लिये अनुरोध किया जाता रहा, किन्तु समस्त प्रयासों के बाद भी IRGSSA संस्था द्वारा नवम्बर, 2015 तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी। अन्ततः कार्यालय पत्र सं0–847/एसएलडीसी/2015–16 दिनांक 03.12.2015 द्वारा इस संस्था के साथ निष्पादित अनुबन्ध दिनांक 27.03.2015 को समाप्त करते हुये जमानत की धनराशि रू0 39.24 लाख जब्त कर लिया गया एवं IRGSSA संस्था को सदैव के लिये काली सूची में डाल दिया गया।

वस्तु स्थिति से अवगत होने के उपरान्त एसएलएनए द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएलएनए द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि समेकित वॉटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के निगरानी, मूल्यांकन, ज्ञानार्जन तथा दस्तावेजीकरण (MEL&D) हेतु चयनित/अनुबन्धित संस्था आईआरजीएसएसए की सेवायें संतोषजनक नही होने के कारण समाप्त कर दी गयी थी। थर्ड पार्टी निगरानी, मूल्यांकन, ज्ञानार्जन तथा दस्तावेजीकरण (MEL&D) की अपरिहार्य आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2009–10 से 2014–15 तक स्वीकृत परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु पुनः इस कार्यालय के पत्र सं0–984/एसएलडीसी/ 2015–16 दिनांक 08.01.2016 द्वारा ईओआई आमंत्रित की गयी थी। दिनांक 18 एवं 19 फरवरी, 2016 को भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हैदराबाद में आयोजित एसएलएनए के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के सेमिनार में इस सम्बन्ध में चर्चा की गयी, जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्तमान समय में कियान्वित परियोजनाओं के लिये MEL&D एजेंसी की आवश्यकता है। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 की स्वीकृत परियोजनाओं में ही कार्य किया जा रहा है। अतः इन्हीं परियोजनाओं के लिये MEL&D एजेंसी का चयन करने की आवश्यकता है।

उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट होने के उपरांत इस कार्यालय के पत्र सं0–984/ एसएलडीसी/ 2015–16 दिनांक 08.01.2016 द्वारा आमंत्रित ईओआई निरस्त कर दिया गया है। वर्श 2009–10 एवं 2010–11 की स्वीकृत परियोजनाओं के निगरानी, मूल्यांकन, ज्ञानार्जन एवं दस्तावेजीकरण हेतु MEL&D एजेंसी के चयन की प्रकिया शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी।

एस.एल.एन.ए. द्वारा MEL&D एजेन्सी के चयन की व्यवस्था सिघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएलएनए द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के प्रोजेक्ट फण्ड में धन की मांग का प्रस्ताव कार्यालय पत्र सं0–532/ एसएलडीसी/2015–16 दिनांक 12.08.2015 एवं पत्र सं0–536/एसएलडीसी/ 2015–16 दिनांक 14.08.2015 द्वारा रू0 709.31 करोड़ का भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया। तत्समय प्रेषित प्रस्ताव के साथ प्रोविजनल उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था, जिसके सापेक्ष भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रषित किया गया। जिसके सापेक्ष भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–के11030/19/2013 आईडब्ल्यूएमपी (यू0पी0) दिनांक 31.08.2015 द्वारा रू0 75.00 करोड़ अवमुक्त किया गया।

चार्टेड एकाउण्टेंट से सम्प्रेक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संकलित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं सम्प्रेक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर पुनः इस कार्यालय के पत्र सं0–1038/एसएलडीसी/2015–16 दिनांक 21.01.2016 द्वारा भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अवशेष केन्द्रांश रू0 634.31 करोड़ का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

सम्यक् विचारोपरान्त एस.एल.एन.ए. द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएलएनए द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में संचालित है। इन क्षेत्रों में गरीबी, जल की कमी, भूजल स्तर में तेजी से गिरावट तथा कमजोर परिस्थितिकीय प्रणालियों की भयावहता के कारण मृदा का क्षरण एवं भूमि का अवक्रमण लगातार होता रहता है। इन क्षेत्रों में उत्पादकता कम होने के कारण आजीविका संवर्द्धन हेतु विभिन्न प्रयास करने की आवश्यकता है। अतएव योजना के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, उत्पादन प्रणाली में सुधार, सूक्ष्म उद्यमों का विकास करके लोगों को स्वावलम्बी बनाने का प्रयास तथा स्वयं सहायता समूहों का गठन करके परियोजना क्षेत्र के अत्यन्त गरीब, मजदूर, भूमिहीन एवं महिलाओं को आजीविका के सुनिश्चित संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है।

उपरोक्त व्यवस्थाओं के लिये परियोजना क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों, तकनीकी विशेषज्ञों एवं लाभग्राहियों को इस क्षेत्र में किये गये/किये जा रहे विभिन्न प्रकार के कार्यों की समुचित जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एसएलडीसी कार्यालय में एक लाइब्रेरी की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें बारानी खेती, उद्यमिता विकास, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण आदि विषयों पर उपलब्ध साहित्य एवं पत्रिकाओं का संग्रह किया जा सके, ताकि इस कार्य में लगे कार्मिकों को आधुनिक तकनीक, सर्वोत्तम कार्यप्रणाली तथा इन क्षेत्रों में किये गये सफलतम प्रयोगों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायी जा सके।

2. परियोजना क्षेत्र के लाभार्थियों को जल संचयन के प्रति जागरूक करने, कृषि के नवीन एवं वैज्ञानिक तकनीकों से भिज्ञ कराने, आजीविका संवर्द्धन के क्षेत्र में किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपायों से परिचित कराने के उद्देश्य से ''जलदा'' नामक पत्रिका के प्रकाशन का निर्णय लिया गया, जिसका प्रथम अंक माह दिसम्बर, 2015 में प्रकाशित कराया गया है। इस पत्रिका को प्रत्येक माह प्रकाशित कराने का निर्णय विचाराधीन है।

सम्यक् विचारोपरान्त एस.एल.एन.ए. द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएलएनए द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि आईडब्ल्यूएमपी योजनान्तर्गत प्रदेश स्तर पर गठित स्टेट लेवल डाटा सेंटर (एसएलडीसी) जनपद स्तर पर स्थापित डब्ल्यूसीडीसी में तकनीकी विशेषज्ञ तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर तथा पीआईए स्तर पर डब्ल्यूडीटी सदस्यों की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु सर्विस प्रोवाइडर मे0 विबग्योर इन्फो प्रा0लि0 लखनऊ के साथ दिनांक 12.12.2014 को निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों पर दिनांक 12.12.2014 से दिनांक 11.12.2015 तक के लिए अनुबंध निष्पादित किया गया था।

मै0 विबग्योर इन्फो प्रा0लि0 के पत्र सं0–वीआईपीएल–2720 दिनांक 03.12.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की सेवायें पूर्व निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन एक वर्ष के लिये बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में प्राप्त उच्चानुमोदन के क्रम में कार्यालय पत्र सं0–943/एसएलडीसी/सर्विस प्रोवाइडर/2015–16 दिनांक 01.01.2016 द्वारा मै0 विबग्योर इन्फो प्रा0लि0 की सेवायें दिनांक 12.12.2015 से 31.03.2016 तक के लिये विस्तारित की गयी हैं।

एस.एल.एन.ए. द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएलएनए द्वारा सदन को सूचित कराया गया कि वर्तमान में सेवा प्रदाता के माध्यम से आईडब्ल्यूएमपी योजनान्तर्गत प्रदेश स्तर पर एसएलडीसी, जनपद स्तर पर डब्ल्यूसीडीसी में तैनात टेक्निकल एक्सपर्ट तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं पीआईए स्तर पर डब्ल्यूडीटी सदस्यों की सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है। संयुक्त सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–जेड–11011/17/2009–पीपीसी दिनांक 08.04.2010 के द्वारा स्टेट लेवल नोडल एजेंसी तथा वाटरशेड

सेल कम डाटा सेंटर में एक्सपर्ट्स तथा स्टाफ की तैनाती हेतु निम्नवत् निर्देश दिये हैं " The engagement of experts & staff in the State Level Nodal Agencies (SLNA) and Watershed Cell Cum Data Centre (WCDC) in the DRDAs can be done either through Deputation/ Recruitment of Retired Government Servants or Contractual Appointment through direct Contract/Service Providers."

सेवा प्रदाता द्वारा एसएलडीसी/डब्ल्यूसीडीसी एवं पीआईए स्तर पर, समय से कार्मिक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, साथ ही सेवा प्रदाता द्वारा इन अल्प मासिक पारिश्रमिक पाने वाले कार्मिकों के मानदेय से 14 प्रतिशत धनराशि सेवा कर के रूप में कटौती की जाती है, जिससे इनकी मासिक परिलब्धियां बहुत कम हो जाती हैं। कम मासिक परिलब्धियां होने के कारण समय से उपयुक्त कार्मिकों की उपलब्धता में कठिनाई आ रही है, जिसका सीधा प्रभाव कार्यक्रम के कियान्वयन पर पड़ रहा है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 08.04.2010 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार एसएलएनए स्तर से नियमानुसार सीधे अनुबन्ध के आधार पर कार्मिकों को नियोजित/तैनाती किया जाना कार्यहित में प्रस्तावित है।

एसएलएनए की बैठक मे यह मत स्थिर किया गया कि आईडब्ल्यूएमपी योजनान्तर्गत प्रदेश स्तर पर एसएलडीसी, जनपद स्तर पर डब्ल्यूसीडीसी में तैनात टेक्निकल एक्सपर्ट तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं पीआईए स्तर पर डब्ल्यूडीटी सदस्यों को एसएलएनए के स्तर से सीधे अनुबन्ध के आधार पर कार्मिकों को तैनात करने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग उ0प्र0 शासन से प्रामर्श प्राप्त कर लिया गया।

16. अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

(i). मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अवगत कराया गया कि समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम का कियान्वयन मुख्यतया सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की भमि संरक्षण इकाईयों के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग द्वारा इन इकाईयों के कार्मिकों को सीयूजी की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है। कार्यक्रम के प्रभावी कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभाग के भूमि संरक्षण अधिकारी, अवर अभियंता, वाटरशेड डेवलपमेंट टीम के सदस्यों, कार्यप्रभारी/स0भू0सं0नि0, डब्ल्यूसीडीसी के तकनीकी विशेषज्ञ, उप निदेशक तथा एसएलडीसी के तकनीकी विशेषज्ञों को सीयूजी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

सीयूजी की सुविधा उपलब्ध होने से सूचनाओं का तत्काल आदान प्रदान एवं परियोजनाओं की सघन मॉनीटरिंग सुगमतापूवर्क कम से कम समय में सम्भव हो सकती है। इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु वोडाफोन एवं आइडिया कम्पनियों की दरें व प्लान प्राप्त किया गया। अन्य कम्पनियों की दर अधिक होने के कारण उनसे प्रस्ताव नहीं लिया गया। वोडाफोन एवं आइडिया की समान प्लान वाली सुविधा के लिये आइडिया की दरें कम पायी गयी हैं। अतएव आइडिया कम्पनी से सीयूजी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

वर्तमान समय में एसएलडीसी, डब्ल्यूसीडीसी एवं पीआईए स्तर तक के कार्मिकों को सीयूजी की सुविधा से जोड़ने के लिये लगभग 400 कनेक्शन लेने की आवश्यकता होगी। सीयूजी कनेक्शन में इंटरनेट डाटा तथा वर्क फोर्स ट्रेकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे कार्मिकों का लोकेशन ट्रैक करना सम्भव हो सकेगा। उळ इंटरनेट डाटा तथा वर्क फोर्स ट्रेकिंग की दर रू0 400 प्रति कनेक्शन से 400 कनेक्शन के लिये रू0 1,60,000/– प्रतिमाह का व्यय सम्भावित है। जनपद एवं पीआईए स्तर के कार्मिकों के सीयूजी पर होने वाला व्यय सम्बन्धित पीआईए द्वारा मॉनीटरिंग/प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि से तथा एसएलडीसी स्तर पर होने वाला व्यय एसएलएनए स्तर पर उपलब्ध मॉनीटरिंग/प्रशासनिक मद की धनराशि से किया जायेगा।

सम्यक विचारोपरान्त एसएलएनए द्वारा यह निर्णय लिया गाया कि एसएलडीसी, डब्ल्यूसीडीसी एवं पी. आई.ए के स्तर के कार्मिको को सीयूजी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(ii). मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सदन को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा एस.एल.एन.ए. को संस्थागतमद में धनराशि प्राप्त करायी जाती है, जिसका उपभोग एस.एल.एन.ए. एवं डब्ल्यू.सी.डी.सी. में कार्यरत कार्मिकों का वेतन, कार्यालय व्यय एवं यात्रा भत्ता मद में किया जाता है तथा तीनों मदों में धनराशि का आवंटन भी पृथक–पृथक होता है। डब्ल्यू.सी.डी.सी. में रखे गये कर्मियों को यात्रा भत्ता बिल के भुगतान हेतु पूर्व में व्यवस्था निर्धारित की गयी थी, इसी प्रकार परियोजना स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाओं के अर्न्तगत वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यू.डी.टी.) का गठन परियोजना कियान्वयन एजेन्सी (पी.आई.ए.) द्वारा किया जाता है। डब्ल्यू.डी. टी. सदस्यों को जिला एवं राज्य स्तर पर विशेषज्ञों के दल के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करना होता है। कतिपय जनपद के कर्मियों द्वारा संज्ञान में लाया गया कि उनके द्वारा प्रस्तुत यात्रा भत्ता बिल का भुगतान नहीं किया जाता है, जिससे क्षेत्रीय भ्रमण के कार्यो को जिम्मेदारी से निर्वहन नहीं किया जा रहा है। जिस कारण परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

उपरोक्त स्थित के दृष्टिगत डब्ल्यू.सी.डी.सी. में कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञों को मासिक रूप से यात्रा भत्ता की निश्चित धनराशि रूपया 2000.00 प्रतिमाह तथा डब्ल्यू0डी0टी0 सदस्यों को रूपया 1500.00 प्रतिमाह रूपये मासिक मानदेय के साथ दिये जाने हेतु पत्र संत्र 1064 /एस.एल.डी.सी./2015–16 दिनांक 29.01.2016 तथा पत्र संत्र 1065/एस.एल.डी.सी./2015–16 दिनांक 29.01.2016 के द्वारा समुचित निर्देश दिये जा चुके है ।

सम्यक् विचारोपरान्त एस.एल.एन.ए. द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(iii). मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएलएनए द्वारा सदन को सूचित किया गया कि जनपदों में अवस्थापना हेतु भारत सरकार के पत्र सं0 के–11012/13/2009/आई.डब्ल्यू.एम.पी. (आईएस) दिनांक 23 दिसम्बर,2009 एवं

पत्र सं0 के–11012/13/2009/आई.डब्ल्यू.एम.पी. (आईएस) दिनांक 15.10.2010 के द्वारा क्रमशः प्रति जनपद रू0 4.00 लाख की दर से रू0 208.00 लाख एवं रू0 60.00 लाख कुल रू0 268.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त धनराशि के सापेक्ष कतिपय जनपदों में अभी तक समस्त धनराशि का उपयोग नही होने के कारण एस.एल.एन.ए. के पत्र सं0 1048/एस.एल.डी.सी./संस्थागत/2013–14 दिनांक 24 दिसम्बर,2013 द्वारा अवशेष धनराशि वापस करने के निर्देश दिये गये थे जिसके क्रम में रू0 49.05 लाख वापस प्राप्त की गयी है तथा कुछ जनपदों से धनराशि की वापसी अभी शेष है।

उक्त रू0 268.00 लाख की धनराशि में से जनपदों में अवशेष कुल धनराशि रू0 77.90 लाख प्राप्त करके आवश्यक उपकरण यथा– कम्प्यूटर, प्रिन्टर, लैपटॉप, जी.पी.एस. कैमरा, ट्रेकिंग सिस्टम, टेबलेट एवं बायो मैट्रिक मशीन आदि क्रय किया जाना का प्रस्तावित है।

सम्यक् विचारोंपरान्त एस0एल0एन0ए0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(iv). मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएलएनए द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उत्पादन प्रणाली एवं सूक्ष्म उद्यम मद के अन्तर्गत औषधीय एवं पोशक तत्वों से भरपुर फसल **"किनवा"** की खेती को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में 20 जनपदों में 46 एकड़ क्षेत्रफल में करायी गयी है। किनवा की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बाजार में ज्यादा मॉग है, इसके उत्पादको की एक सोसाइटी **"उ0प्र0 किनवा उत्पादक सोसाइटी"** भी पंजीकृत करायी जा रही है जिससे भविष्य में उत्पाद का अच्छा मूल्य प्राप्त किया जा सके।

सम्यक् विचारोंपरान्त एस0एल0एन0ए0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

ह0
(दीपक सिंघल)
सदस्य–सचिव एसएलएनए/
प्रमुख सचिव,
परती भूमि विकास विभाग
उ0प्र0 शासन, लखनऊ

कार्यालय– स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी
समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन परियोजना
परती भूमि विकास विभाग,
एल्डिको कॉरपोरेट टॉवर, विभूति खण्ड़ गोमती नगर लखनऊ
दूरभाष–0522–4005337, 4113437 ईमेल–sldcldwrlu-up@nic.in

पत्रांक– 1275 / एस.एल.डी.सी./2015–16 लखनऊ दिनॉक 29 मार्च,2016

कार्यवृत्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली।
2. डा0 संदीप दबे, संयुक्त सचिव (WM) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
3. स्टाफ अफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन ।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई।
14. ग्राम्य अभियन्त्रंण, उ0प्र0 शासन।
15. आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश परियोजना, 23 सी, गोखले मार्ग, लखनऊ (उ0प्र0)।
16. आयुक्त एवं प्रशासक, रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना, पाण्डुनगर कानपुर।
17. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
18. निदेशक, सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र (RSAC UP) उ0प्र0 लखनऊ।
19. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग उ0प्र।
20. टेक्निकल एक्सपर्ट (वाटर मैनेजमेंट), राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, एनएएससी कामप्लेक्स देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा रोड नई दिल्ली।

21. श्री प्रभात त्यागी, उप महानिरीक्षक, वन (डब्लू0एम0) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ग्यारवहवॉ ब्लाक, छटवां तल सीजीओ काम्पलेक्स लोदी रोड, नई दिल्ली।
22. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), गोमती नगर लखनऊ।
23. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय, कानपुर।
24. अपर निदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बक्सी का तालाब लखनऊ।
25. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना, लखनऊ उ0प्र0।
26. निदेशक, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) लखनऊ।
27. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
28. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, परती भूमि विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
29. सचिव, एग्री इनोवेशन फाउण्डेशन, लखनऊ।
30. प्रबन्धक, सुरभि शोध संस्थान, सिधौरा, डगमगपुर, मिर्जापुर।
31. निदेशक, दीनदयाल शोध संस्थान, शियाराम कुटीर, चित्रकूट जिला सतना (मध्य प्रदेश)।
32. प्रशासनिक अधिकारी, एस.एल.डी.सी. (आई.डब्लू.एम.पी.), गोमती नगर लखनऊ।
33. गार्ड फाइल।

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सलग्नक–1

दिनांक 03.03.2016 को मुख्य सचिव/अध्यक्ष स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में 18वीं बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण।

क्र.स.	अधिकारी का नाम/पदनाम/विभाग का नाम
1	श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2	श्री निवेदिता शुक्ला वर्मा, प्रमुख सचिव, उद्यान, उ0प्र0 शासन।
3	श्री आञ्जनेय कुमार सिंह मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी, आईडब्ल्यूएमपी, उ0प्र0
4	श्री रणवीर प्रसाद, सचिव,दुग्ध विकास, उ0प्र0 शासन।
5	श्री भरत लाल राय, सचिव, लधु सिचाई, उ0प्र0 शासन।
6	श्री जे.बी. सिंह, विशेष सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन।
7	श्री सी.के.पाण्डेय, विशेष सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन।
8	श्री सूखद राम पाण्डेय, विशेष सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
9	श्री शिशिर कुंमार यादव, विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण, उ0प्र0 शासन।
10	श्री ओम प्रकाश, विशेष सचिव, वन, उ0प्र0 शासन।
11	श्री शिव राम त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
12	श्री पी.एन. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, ग्राम विकास, उ0प्र0 शासन।
13	श्री सत्यभान, अपर प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।
14	श्री वरूण मिश्र, अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, सारदा सहायक परियोजना, लखनऊ।
15	श्री एस.पी.जोशी, निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0।
16	श्री गौरव कुमार भटटाचार्य, प्रबन्दक, नाबार्ड, उ0प्रा।
17	श्री पी.आर.चौरसिया, मुख्य अभियन्ता, लद्यु सिचाई, उ0प्र0।
18	श्री रविकान्त सिंह, सीनियर हाइड्रोलॅजिस्ट , भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0।
19	श्री नीरज गुप्ता, उपायुक्त ग्रामविकास, उ0प्र0।
20	डा0 वरदानी, अपर निदेशक, एस0आइ0आर0डी, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
21	श्री उग्रसेन शाही, संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
22	श्री साहब सिंह, संयुक्त निदेशक, रामगंगाा कमाण्ड, कानपुर।
23	डा0 विपिन अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
24	डा0 ए.एल.हलघर, प्रभागाध्यक्ष,आर.एस ए सी,उ0प्र0।
25	श्री एन.एल.एम.त्रिपाठी, नोडल अधिकारी, उद्यान विभा, उ0प्र0।
26	श्री के.पी.त्रिपाठी, सचिव एग्री इनोवेशन फाउण्डेशन,लखनऊ।